

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 135/2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/264

निर्णय दिनांक: 26.09.2024

कान्ता देवी पुत्री आसकरण उर्फ आशाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री मदनलाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती हैं कि प्रार्थिनी ग्राम धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की निवासिनी हैं एवं विवाह के पश्चात श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थायी निवास कर रही हैं। प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 17.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 तादादी 19.9700 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत में प्रार्थिनी प्रत्येक का 1/8 हिस्सा स्थित है। वादगत खेतों के पुराना खसरा नम्बर 205 तादादी 17.25 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 48 तादादी 19.97 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थिनी के पिता आसकरण पुत्र चुन्नीलाल जी के नाम से दर्ज थी। प्रार्थिनी के पिता आसकरण जी कि मृत्युपरान्त वादगत खेतों की खातेदारी जरिये विरास्तन इंतकाल संख्या 647 के प्रार्थिनी व आसकरणजी के अन्य सभी वारिसानों के नाम से दर्ज की गयी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह हैं कि प्रार्थिनी को घर में बिस्नु नाम से पुकारा जाता था एवं प्रार्थिनी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थिनी का नाम कान्ता देवी दर्ज हैं जबकि वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी के पिता आसकरण जी कि मृत्युपरान्त विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थिनी का नाम बिस्नु पुत्री आसकरण दर्ज कर दिया गया। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थिनी को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर अपना नाम कान्ता देवी पुत्री आसकरण उर्फ आशाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी धनेरु हाल श्रीडूंगरगढ़ अंकित करवाना चाहती हैं। प्रार्थिनी वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रार्थिनी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थिनी को अप्रार्थी के विरुद्ध वादहेतु प्राप्त है एवं वादगत खेतों की संयुक्त खातेदार कृष्णा देवी से प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। प्रार्थिनी ग्राम धनेरु हाल श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



तला बीकानेर की स्थायी निवासिनी हैं एवं वादगत खेत रोही ग्राम धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व त्रिधिकार में है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 17.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 तादादी 19.97 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम बिस्नू पुत्री आसकरण जाति महाजन निवासी धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ को शुद्ध किया जाकर कान्ता देवी पुत्री आसकरण उर्फ आशाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी धनेरु हाल श्रीडूंगरगढ़ दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थिनी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थिनी हो जावे वह भी प्रदान किया जावे।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया गया। प्रार्थिनी की ओर से साक्ष्य पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 268 तादादी 17.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 तादादी 19.97 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम बिस्नू पुत्री आसकरण जाति महाजन निवासी धनेरु तहसील श्रीडूंगरगढ़ को शुद्ध किया जाकर कान्ता देवी पुत्री आसकरण किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)